नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारीः–अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
113/2023	01.09.2023	17-2-25

1. रामनिवास पुत्र जगन्या जाति मीना निवासी ग्राम जटवाडाकलॉं तहसील व जिला सवाई माधोपुर

वादी

बनाम

1. सांवलराम पुत्र रंगा जाति मीना
2. रामधन पुत्र रंगा जाति मीना
3. छुट्टनलाल पुत्र रामकिशन जाति मीना
4. श्रीमती सणफूली पत्नी रामधन जाति मीना
5. श्रीमती मनीषा पत्नी छुट्टन लाल जाति मीना समस्त निवासीयान ग्राम जटवाडा कलॉं तहसील व जिला सवाई माधोपुर
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 सपठित धारा 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता वादी की और से
2. प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय

:– निर्णय –:

वादी ने जरिये वकील एक वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 सपठित धारा 92 ए राजस्थान काश्तारी अधिनियम पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम जटवाडाकलां में वादी की कब्जे काश्त एवम् खातेदारी की भूमि वर्तमान खसरा नम्बरान 1287/2870 (एक हजार दो सत्यासी बटा दो आठ सौ सत्तर) रकबा 0.10 है0, 2033 (दो हजार तैतीस) रकबा 0.05 है0, 2034 (दो हजार चौतीस रकबा 0.07 है0, 2124 (दो हजार एक सौ चौबीस) रकबा 0.07 है0, 2[illegible]जार पॉंच सौ पॉंच) रकबा 0.06 है0, 2507 (दो हजार पॉंच सौ [illegible] 0.37 है0 [illegible] 6 कुल रकबा 0.72 हेक्टेयर स्थित है जिसके इस सेटल[illegible] नम्बरान 839, 1287 [illegible] 1288 थे जिन्हें वादी द्वारा हंसा व मोरपाल पुत्र [illegible] रंगा मीना निवासीयान जटवाडाकलां से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 02.09.1993 को कय किया था। उक्त भूमि पर वादी बहैसियत खातेदार काश्तकार आज दिन तक काबिज चला आया है तथा वादी ने उक्त सम्पूर्ण भूमि में अर्सा करीब 6 वर्षो पूर्व अमरूदों का बगीचा लगाया था जो मौके पर एक मुश्त सरसब्ज खडा है एवम् फल दे रहा है। वादी की उक्त भूमि से

उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का आज दिन तक किसी भी किस्म का कोई सम्बन्ध एवम् वास्ता नही रहा है लेकिन प्रतिवादीगण लठ्ठबाज व गिरोहबन्द व्यक्ति होने के कारण वादी से नाजायज रूप से जबरन उक्त भूमि व बगीचे को छीनने पर आमादा हो रहे है। दिनांक 22.08.2023 को सुबह करीब 9 बजे वादी अपनी उक्त भूमि पर लगे हुये बगीचे की रखवाली कर रहा था तो प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 अपने हाथों में लाठिया लेकर वहाँ आ गया एवम् वादी को धमकाते हुये बगीचे से निकल जाने के लिये कहा तो वादी ने कहा कि मेरे बगीचे से तुम मुझे निकालने वाले कौन होते हो तो प्रतिवादीगण बीले कि यदि तु भला चाहता है तो यहां से चला जा तथा आईन्दा कभी इस बगीचे पर मत आना तथा इस बगीचे को भूल जा, या तो हम पूरे बगीचे को नष्ट कर देगें या फिर इस पर हम कब्जा करके रहेगें। यदि तु फिर कभी इस भूमि व बगीचे पर आया तो तेरे हाथ पैर तोड देगें। वादी ने जाने से इन्कार किया तो वादी को मारने पर आमादा हो गये इसलिये आखिरकार वादी झगडा ना बढ़ाने का इरादा रखकर उस समय वहाँ से आ गया। प्रतिवादीगण ने आज से करीब सवा तीन माह पूर्व भी वादी के इस बगीचे में अमरूदों को नुकसान पहुँचाया था तथा वादी के पुत्र कमल एवम् पुंत्री पपीता के साथ मारपीट की थी पुलिस थाना सूरवाल द्वारा रिपोर्ट दर्ज ना करने के कारण वादी ने कोर्ट के मार्फत एफआईआर संख्या 173 / 2023 जुर्म धारा 323, 147, 447, 427, 504, 341 आई.पी.सी में दर्ज करवायी थी लेकिन थाने वालो ने प्रतिवादीगण के प्रभाव के कारण उनके विरूद्ध कोई कारगर कार्यवाही नही की है तथा जैर तफ्तीश हैं। इस बार भी वादी पुलिस थाना सूरवाल रिपोर्ट करने गया था लेकिन थाने वालों द्वारा सुनवायी न करने के कारण वादी ने आज रजिस्टर्ड डाक से रिपोर्ट थाने पर भिजवा दी हैं। इस प्रकार वादी की उक्त आराजीयात से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का किसी भी किस्म का कोई सम्बन्ध एवम् वास्ता ना होते हुये भी वे लठ्ठ के बल पर वादी को परेशान कर वादी के बगीचे को नुकसान पहुँचाने एवम् बगीचे व भूमि को छीनने पर आमादा हो रहे है जिसका उन्हें कानूनन कोई हक व अधिकार नही है, बल्कि इसके विपरीत वादी को अपनी उक्त भूमि व बगीचे पर शान्ती पूर्ण रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करने व काश्त करने का पूर्ण हक व अधिकार है तथा वादी अपनी उक्त भूमि व बगीचे पर शान्ती पूर्वक कब्जा काश्त बनाये रखते हुये उसका उपयोग उपभोग करने का कानूनी हक व अधिकार रखता हैं। चूँकि प्रतिवादीगण इस प्रकार नाजायज रूप से वादी को परेशान कर बगीचे को नष्ट करने एवम् भूमि को बादी से छीनने पर आमादा है जिस कारण प्रतिवादीगण के खिलाफ यह स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ ताकि वादी प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में उपयोग उपभोग में किसी किस्म की कोई बाधा नही पहुँचाने के लिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा सके। इसलिये वादी को यह वाद पत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ। विनाय दावा वाद पत्र का मद नं0 5 में दर्शाये अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा वादी की उक्त भूमि पर आकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वादी को धमकाते हुये बगीचे से चले जाने ए बगीचे को नुकसान पहुँचाने व भूमि / बगीचे को वादी से छीनने की धमकी देते हुये वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने पर दिनांक 22.08.2023 को बमुकाम जटवाडाकला अन्दर हद अदालत श्रीमान् उत्पन्न हुआ। विवादित सम्पूर्ण भूमि ग्राम जटवाडाकलां तहत तहसील सवाई माधोपुर में स्थित है अत इस वाद पत्र की सुनवायी का श्रीमान् के न्यायालय को पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादी की खातेदारी एवम् कब्जे काश्त की उक्त भूमि वर्तमान खसरा नम्बरान 1287/2870 (एक हजार दो सत्यासी बटा दो आठ सौ सत्तर) रकबा 0.10 है0, 2033 (दो हजार तैतीस) रकबा 0.05 है0, 2034 (दो हजार चौतीस रकबा 0.07 80, 2124 (दो हजार एक सौ चौबीस) रकबा 0.07 हैव, 2505 (दो हजार पाँच सौ पाँच) रकबा 0.06 है, 2507 (दो हजार पाँच सौ सात) रकबा 0.37 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.72 हेक्टेयर वाके ग्राम जटवाडाकलां एवम् उस पर लगे हुये वादी के अमरूदों के बगीचे पर बादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही करें और न ही बगीचे को किसी प्रकार से नुकसान पहुँचायें साथ ही ही अपने किसी सगे सम्बन्धी, नौकर आदि से भी नही करावें । खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 से दिलाया जावें ।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये नोटिस तलबी की गयी। प्रतिवादीगण की बाबजूद तामिल होने पर न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

प्रकरण में वकील वादी की एक पक्षीय बहस सूनी। वकील वादी ने अपने वाद पत्र के अनुसार बहस करते हुऐ बताया है कि ग्राम जटवाडाकलां में वादी की कब्जे काश्त एवम् खातेदारी की भूमि वर्तमान खसरा नम्बरान 1287/2870 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 2033 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 2034 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 2124 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 2505 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 2507 रकबा 0.37 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.72 हेक्टेयर स्थित है जिसके इस सेटलमेन्ट से पूर्व के विगत खसरा नम्बरान 839, 1287 एवम् 1288 थे जिन्हें वादी द्वारा हंसा व मोरपाल पुत्र बजरंगा मीना निवासीयान ग्राम जटवाडाकलां से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.09.1993 को क्रय किया था। उक्त भूमि पर वादी बहैसियत खातेदार का[illegible] आज दिन तक काबिज चला आया है तथा बादी ने उक्त सम्पूर्ण भूमि [illegible] का बगीचा लगाया था जो मौके पर एक मुश्त [illegible] फल दे रहा है। वादी की उक्त भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का आज [illegible] तक किसी भी किस्म का कोई सम्बन्ध एवम् वास्ता नही रहा है लेकिन प्रतिवादीगण लठ्ठबाज व सिरोहबन्द व्यक्ति होने के कारण वादी से नाजायज रूप से जबरन उक्त भूमि व बगीचे को

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

ीनने पर आमादा हो रहे है। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने ी कृपा करे।

प्रकरण में वकील वादी की बहस का मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड ा अवलोकन किया। वादी राजस्व ग्राम जटवाडा कलॉ में स्थित हाल खसरा नम्बर 287/2870 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 2033 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 2034 कबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 2124 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 2505 रकबा 0.06 है0, ुसरा नम्बर 2507 रकबा 0.37 हैक0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.72 हेक0 भूमि का ातेदार काश्तकार है। वादी प्रतिवादी को अपनी खातेदारी भूमि जबरन कब्जा काश्त में उपयोग उपभोग में किसी किस्म की कोई बाधा नही पहुॅचाने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहता है। वादी उक्त विवादित खसरा नम्बरान का खातेदार होने के कारण प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी भूमि में बाधा नही उत्पन्न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का पूर्ण अधिकारी है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

:— कियात्मक आदेश —:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाता है कि राजस्व ग्राम जटवाडा कलॉ में स्थित वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1287/2870 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 2033 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 2034 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 2124 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 2505 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 2507 रकबा 0.37 हैक0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.72 हेक0 पर वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही करे और न ही बगीचे को किसी प्रकार से नुकसान पहुॅचावे साथ ही अपने किसी सगे, सम्बन्धी नौकर आदि से भी नही करावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करें। तद्नानुसार डिकी जारी की जावें। निर्णय आज दिनांक 17-2-25 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हों।

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:38 IST
Reason: SelfAttested